फा0 सं0 22011/32/2009-एमपीआर
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
17 फरवरी, 2010

सेवा में,

समस्त एसएसपी उत्पादक/एफएआई

विषय: दिनांक 13.8.2009 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत 1.10.2009 से सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) उर्वरकों के लिए तदर्थ रियायत हेतु संशोधित नीति

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊपर उल्लिखित योजना में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि 1 अक्तूबर, 2009 से एसएसपी के लिए तदर्थ रियायत केवल उन्हीं पात्र एसएसपी इकाइयों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिनकी वार्षिक क्षमता उपयोग कम से कम 50% है या एसएसपी का वार्षिक उत्पादन 40,000 मी0टन जो भी कम हो। क्षमता उपयोग/उत्पादन को मान्यता देने के उद्देश्य से 31 मार्च, 2009 तक की क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा। 1 अक्तूबर, 2009 से एसएसपी की बिक्री के लिए तदर्थ राजसहायता के मानक हेतु यथानुपात आधार पर दिनांक 13.8.2009 की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के लिए इकाई के क्षमता उपयोग/उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा, उर्वरक विभाग द्वारा उत्पादन मानक की गणना के लिए प्रभावी तारीख को मामला-दर-मामला आधार पर एसएसपी इकाइयों से प्राप्त अनुरोध के अनुसार विचार किया जा सकता है।

2. उपर्युक्त की पृष्ठभूमि में एसएसपी इकाइयों को कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संलग्न प्रपत्र के अनुसार 1.10.2009 से दिनांक 13.8.2009 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत रियायत के भुगतान का दावा करने की अपनी पात्रता को प्रमाणित करने के लिए एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है। इस प्रमाण-पत्र को ऊपर उल्लिखित योजना के अंतर्गत रियायत के भुगतान का दावा करने से पहले प्रारम्भ में ही इकाइयों द्वारा प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

भवदीय

वीरेन्द्र गुप्ता

(वीरेन्द्र गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष और फैक्स सं0 23388536

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. सीए/पीएण्डएओ
2. निदेशक (वित्त)/एएफए/एसओ (आईएफडी)
3. निदेशक (एफए)/अवर सचिव (रियायत विंग)/सहा. निदेशक (रियायत विंग)
4. पीडीआईएल

<u>संलग्नक : यथोपरि</u>

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स .... (......... में स्थित एसएसपी इकाई का नाम), की वार्षिक स्थापित क्षमता .... मीटर है। इकाई ने 13.8.2009 से 12.11.2009 तक (या उर्वरक विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य कोई तारीख) के दौरान .... मी0टन एसएसपी का उत्पादन किया है, जो यथानुपात आधार पर वार्षिक स्थापित क्षमता का 40000 मी0टन (जो भी कम हो) बैठता है। तदनुसार, मैसर्स .... 13.8.2009 को घोषित सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) की तदर्थ रियायत हेतु संशोधित नीति के अंतर्गत 1 अक्तूबर, 2009 से रियायत के भुगतान का दावा करने के लिए पात्र हैं।

मोहर सहित कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
के हस्ताक्षर

मोहर सहित कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक
के हस्ताक्षर